संख्या-80/2018/2669 ई-2/तेरह-2018-370/99

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 28 अगस्त,2018

विषय:-शामली आसवनी, शामली की वर्तमान वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 135 लाख लीटर से बढ़ाकर 210 लाख लीटर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-51/दो-प्रा0डी0-12/शामली आसवनी, दिनांक 30 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30 जुलाई,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स शामली आसवनी, शामली की अधिष्ठापित क्षमता में 75 लाख लीटर की वृद्धि अर्थात् 135 लाख लीटर से बढ़ाकर 210 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा क्षमता वृद्धि से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य नियमों/अधिनियमों व विधिव्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/ed/intra